

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7( 14 )वित्त/कर/2020

जयपुर, दिनांक 08.10.2020

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के तहत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक राजस्थान लोक सेवा आयोग में दिनांक 29.09.2020 की अभिशंषा पर निम्नांकित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

वर्ष 2013-14

क्र.सं	नाम	वर्ग	वरिष्ठता क्रम	विशेष विवरण
1	श्री कृष्ण कन्हैया बोराणा		श्री समीरदान संकरोत के नीचे व श्रीमती निधि मिश्रा के ऊपर रहेगा।	रिक्ति दिनांक 01.04.13

वर्ष 2014-15

श्री कृष्ण कन्हैया बोराणा का नाम बंद लिफाफा सहित हटाया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-  
(डॉ. पृथ्वी)  
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

  
( निशान्त जैन )  
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)